

उन मामलों का विवरण जिनमें वर्ष 2020-21 के दौरान विज्ञापन के बाद अधियाचनाएं रद्द की गईं

क्र. सं.	पद का नाम/मंत्रालय एवं वेतनमान	शामिल पदों की संख्या	निरस्त करने का कारण
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रोफेसर अस्पताल प्रशासन-सह-चिकित्सा अधीक्षक, सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन (लेवल 14:₹ 144200-218200)	1	भर्ती नियमों के संशोधन/ पुनरीक्षण लंबित होने के कारण भर्ती रद्द कर दी गई।
2.	वरिष्ठ व्याख्याता (इम्यूनो हिमेटोलॉजी और रक्त आधान), सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन (लेवल 13:₹ 123100-215900)	1	चंडीगढ़ प्रशासन में अ.पि.व. के लिए आरक्षण नीति के चलते भर्ती रद्द।
3.	वैज्ञानिक अधिकारी (फार्माकोग्नॉसी), भारतीय चिकित्सा के लिए भेषज प्रयोगशाला, आयुष मंत्रालय (लेवल 10:₹ 56100-177500)	1	नव स्थापित पीसीआईएम एंड एच (एक स्वायत्त संगठन) में पीएलआईएम और एचपीएल के विलय के कारण भर्ती रद्द कर दी गई।
4.	उप निदेशक (परीक्षा सुधार), संघ लोक सेवा आयोग (लेवल 11:₹ 67700-208700)	1	सी-पाँसर योजना के तहत ईआर संवर्ग के लिए अधिसूचित पद के लिए नए भर्ती नियमों के कारण आयोग द्वारा भर्ती रद्द कर दी गई।